न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 01/2018

1. भगवानाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. जगमाल पुत्र सुखा जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थी

2. डूंगरराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रूधाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. सोनू पुत्र जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. भंवरी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. विमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. आशी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. विद्या पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।
11. मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा रावतसर तहसील रावतसर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

04/10/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय

दिनांकः– 04.10.2023

अपीलांट भगवानाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्व नामान्तरण आदेश 25 दिनांक 28.01.1976 रोही मौजा शेखचुलिया

तहसील रावतसर बअदालत तहसीलदार राजस्व को अपास्त करवानें बाबत अपील पेश की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा शेखचुलिया तहसील रावतसर के ख0नं0 338 की 20 बीघा 05 बिस्वा भूमि सिवाय चक काबिल काश्त भूमि थी। तथा उक्त भूमि के चारो तरफ प्रार्थी के पिता के नाम से खातेदारी कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी के खेतो का माध्य भाग होने से हमेशा से प्राथी के पिता के कब्जा कश्त में रही है तथा उनके फौत होने के बाद प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। एवं वर्तमान रोही मौजा शेखचुलिया तहसील रावतसर के खाता सं0 55/59 के ख0नं0 761/388 की 5.0590 हैक्ट. भूमि स्थित है।
2. अप्रार्थी सं0 1 को पूर्व में गांव शेखचुलिया तहसील रावतसर के खाता सं0 134 के ख0न0 51 की 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। खसरा नं0 338 मीन की 20 बीघा भूमि को साबिका ख0नं0 41 का रकबा नही माना तथा नामान्तरण आदेश संख्या 25 दिनांक 28.01.1976 को ख0न0 338 की 20 बीघा जगमाल पुत्र सुखा जाति बावरी के नाम से यानि अप्रार्थी सं. 1 के नाम कतई गलत तौर से नामान्तरण दर्ज की गई है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।
3. अप्रार्थी सं. 1 को रोही मौजा शेखचुलिया तहसील नोहर के खाता सं. 134 के ख0न0 51 की 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा ख0न0 338 की भूमि का कब्जा मिन प्रार्थी के पिता के पास तत्पश्चात उनके फौत होने के बाद प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पास रहा है। अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त ख0न0 338 की भूमि कभी भी नही रहा है। मातहत अदालत से अप्रार्थी सं. 1 ने तथ्य छुपाऐ थे तथा मातहत अदालत ने कभी भी कब्जा काश्त की कोई जांच नही की। इस आधार पर आवंटन आदेश खारिज योग्य है।
4. नामान्तरण सं. 25 दिनांक 28.01.1976 में अलग–अलग तरीके से कांट–छांट की गई है तथा बिना किसी आदेश के ख0नं0 51 के स्थान पर ख0नं0 338 का कतई गैर कानूनी ढंग से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थी सं.–1 का नामान्तरण सं. 25 दिनांक 28.01.1976 को किया गया है अर्थात उपखण्ड अधिकारी महोदय का आवंटन आदेश केवल ख0नं0 51 की 20 बीघा भूमि जगमाल पुत्र सुखा जाति बावरी के लिए था परन्तु ख0नं0 338 का आवंटन आदेश कभी जारी ही नही हुआ। नामान्तरण में कांट–छांट करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही था। आवंटन आदेश दो अलग–अलग खसरो की भूमियों के लिए कभी भी जारी नही हुआ परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त नामान्तरण आदेश कतई गलत तौर से किया गया है, जो मन्सूख योग्य है।
5. अपीलाधीन नामान्तरण आदेश रोही मौजा शेखचुलिया तहसील रावतसर के ख0नं0 338 में दर्ज किया परन्तु उपरोक्त सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आवंटन ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)
04/10/23

नही किया गया था। ना ही कोई पत्रावली मूर्तिब की गई तथा ख0नं0 338 के विषय में पटवारी हल्का से कोई कब्जा संबधी कोई रिपोर्ट नही ली गई। कब्जा में स्थित काश्तकार अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

6. अपीलाधीन नामान्तरण बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना तस्दीक किया गया है सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कभी भी ख0नं0 338 मीन की भूमि के विषय में कोई भी आवंटन आज तक नही किया गया है। तहसीलदार रेस्पो. सं. 2 उक्त नामान्तरण दर्ज किये जाने में सक्षम नही था, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्ध व बिना किसी क्षेत्राधिकार के है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है।

7. अपीलाधीन नामान्तरण पूर्व में ख0नं0 51 की तत्पश्चात खसरा नं0 338 फिर उसके बाद उक्त नामान्तरण की लिखापढी के पश्चात गोल लाईन यानि कंटिग की गई है, पुन: कब्जा के आधार पर ख0न0 338 का नामान्तरण दर्ज किया है जबकि कानून या किसी भी विधि में कब्जा के आधार पर नामान्तरण नही किया जा सकता है तथा कांट–छांट करने का अधिकार भी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नही दिया गया था तथा ख0नं0 338 रेस्पों0 सं. 1 को कभी भी आवंटन ही नही किया गया, इसके बाबजूद अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया गया है, जो अपास्तनीय है।

8. दिनांक 31.07.72 को अपीलान्ट के पिता को तहसीलदार राजस्व नोहर से नाजायज काश्त का नोटिस वाद भूमि हेतु प्राप्त हुआ एवं आदेशिका दिनांक 01.11.73 व दिनांक 13.12.73 की फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिससे अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त सिद्ध है। कब्जा के अनुसार अपीलान्ट व्यक्ति पक्षकार है तथा अपीलाधीन नामान्तरण सं0 25 दिनांक 28.1.1976 का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था। रेस्पों सं. 1 ने अपीलान्ट को कब्जा काश्त से बेदखल होने का कथन किया तब रेस्पो. सं. 1 से अपीलान्ट से कोई सबूत या आधार दिखाने की बात कही। तब रेस्पो. सं. 1 ने अपीलाधीन नामान्तरण आदेश के विषय में बताया जिस पर अगले दिन दिनांक 02.01.18 को बिना किसी देरी के नकल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिससे अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है। द्वितीय बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आवंटन किये है अर्थात रोही मौजा शेखचुलिया तहसील रावतसर के ख0नं0 338 का आवटन कभी भी नही किया गया फिर भी अपीलाधीन नामान्तरण आदेश जारी व तस्दीक कर दिया, जो बिना किसी क्षेत्राधिकार के है तथा आवंटन आदेश के बिना नामान्तरण किया गया है तथा सक्षम अधिकारी के निर्देश के बिना कांट–छांट महत्वपूर्ण रिकार्ड अपीलाधीन नामान्तरण में की गई है इसलिए उक्त अपीलाधीन नामान्तरण आदेश संदिग्ध, मनमाने तौर से फर्जी तरीके से किया गया है इसी आधार पर बिना किसी क्षेत्राधिकार के व अवैध नामान्तरण आदेश की गई मियाद

04/10/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अवधि निर्धारित नही होती है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सुविधा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है। अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश सं0 25 दिनांक 28.01.1976 रोही मौजा शेखचुलिया तहसील रावतसर अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने तरतीबी अप्रार्थी संख्या–2 ता 9 को तर्क किया। रेस्पोडेन्ट संख्या –11 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–10 तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करनें के पश्चात मूल पत्रावली वापिस लौटाई गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 28.01.1976 के अधीन भूमि रोही मौजा शेखचूलिया तहसील रावतसर के खसरा नं0 338 सिवाय चक काबिल काश्त थी, जिस पर हमारा कब्जा था। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को खसरा नं0 51 की 20 बीघा भूमि अलॉट हुई जबकि नामान्तरण खसरा नं0 338 की 20 बीघा भूमि का कर दिया न ही कब्जा था। यह नामान्तरण विधि विरूद्ध खसरा नं0 338 का कब्जे बाबत सबूत भी नहीं है और उक्त भूमि अलॉट भी नहीं है। नामान्तरण में कांट–छांट की गई है। मैनें इसका तावान भी अदा किया है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा –5 म्याद अधिनियम पेश किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह भूमि दिनांक 21.12.1969 को अलॉट हुई जो खसरा नं0 41 की थी। अलॉटमेन्ट व नामान्तरण कब्जे के आधार पर हुई। किस्ते भी जमा करवाई दी गई एंव तत्पश्चात खातेदारी दर्ज हुई। प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी पेश नहीं किया गया। कब्जे का प्रमाण नहीं है। अपील चलनें योग्य नहीं है। इनका अलॉटमेन्ट भी नहीं है। इतने वर्ष कहां थे? कोई स्पष्ट कारण पेश नहीं किया गया। अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि मेरे नाम से चली आ रही है।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि आज ही मौका रिपोर्ट मंगवा ले। मेरा ही कब्जा है। यह भूमि मेरे खेत की बीच में है।

हमनें अधिवक्तागण की बहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने प्रशनगत नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 28.01.1976 बाबत प्रशन कारित किया है परन्तु धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं भी इतने वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत करनें का कोई संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट स्वंय

04/10/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भी इस खसरे का खातेदार काश्तकार नहीं है। केवल कब्जे के आधार पर ही आया है। अपीलांट ने इस अपील में खसरा संख्या 51 बाबत प्रशनचिन्ह अंकित किया है जो कि बाद में खसरा संख्या 338 होना बताया है जबकि प्रस्तुत की गई नामान्तरण की प्रति मे यह खसरा संख्या 41 है न कि 51 है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया चस्पा नहीं होते है। अतः दोनों तथ्यों के आधार पर यह अपील चलनें योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 04.10.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

04/10/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)